न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – रामावतार मीना (आर.ए.एस) प्रकरण सं0– 98/2019

मोनिका मीणा पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

– प्रार्थी

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र श्री कजोड जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. रेणु पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. चेतन पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. कविता पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. भपेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. राज0सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दी. प्रं.सं.

निणर्य

दिनांक:.....

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मोनिका मीणा पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की खाता सं. नई 130 पुरानी 70 की ख.न. 501/65 रकबा 1.34 है0 कुल किता 1 रकबा 1.34 है0 इसी प्रकार ग्राम जोरावरपुरा के खाता सं. नई 129 पुरानी 117 की ख.न. 19 रकबा 2.01 है0,ख.न. 22 रकबा 1.54 है0, ख.न. 38 रकबा 0.66,ख.न. 145 रकबा 0.34,ख.न.160 रकबा 1.22 है. ख.न. 212 रकबा 0.79 ख.न. 352 रकबा 1.48 ख.न. 372 रकबा 0.03 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.07 है0 कृषि आराजी वादी एवं प्रतिवादी 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी न.1 के खाते दर्ज है।

उक्त विवादित आराजी पेत्रक सम्पत्ति है जो वादी व प्रतिवादी कम 2 ता 5 के पिता व प्रतिवादी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित आराजी पेत्रक होने से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है। वादी अपनी निहित हिस्से की भूमि खातेदारी की धोषणा करवा कर पृथक से बटवारा करवाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी (प्रतिवादी न.1) राधेश्याम द्वारा जर्ये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दी.प्रं.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –

1. वादपत्र के सम्पूर्ण पठन एवं वाछित अनुतोष्ट से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित विवादित आराजी में वादी का जन्म से ही हित उत्पन्न होने के आधार पर विवादित भूमि में स्वंय के हिस्से की खातेदारी धोषणा इत्याद्वि अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया है।
2. यह है कि वादी तथा प्रतिवादी कम 1–5 मीणा जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा (2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यो पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नही होता है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त मे रूलिंग पेश की जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है।
3. यह कि पक्षकार शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है, जिसके अधीन पिता की सम्पति मे पुत्री का कोई निहित हित (उत्तराधिकार/ विरासत) प्राप्त नही होता है। इसलिए विवादित भूमि मे वादी का कानूनन कोई हित प्राप्त ही होने से वाद नामंजुर किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

4. यह है कि इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी के पक्ष में कोई को कोई हित सृष्ट ही नही होने से प्रार्थी के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नही था इसलिए प्रार्थी के खिलाफ वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न ही नही हुआ है।

5. वाद इसी स्तर पर वाद हेतुक के गठन के अभाव में order 7 Rule 11. (a) c.p.c के प्रावधानों के अधीन नामंजूर किये जाने योग्य है।

6. यह कि अन्य कारण बहस के समय निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना है कि वाद इसी स्तर पर विधि द्वारा बाधित होने के तथा वाद हेतुक के गठन के अभाव में मे order 7 Rule 11. (a) c.p.c में order 7 Rule 11. (a) c.p.c के प्रावधानों के अधीन नामंजूर करने की कृपा करे।

वकील वादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दी.प्रं.सं. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया –

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 वर्णित तथ्य प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नही होने से स्वीकार नही है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 स्वीकार नही है। वादी,प्रतिवादी कम 1 की अविवाहित पुत्री है इसलिए वादी को विवादित आराजी में हित प्राप्त है। वादी के हित साक्ष्य के समय देखे जावेगे इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. स्वीकार नही है। प्रतिवादी के खिलाफ दिनांक 10.7.2019 को वादी को वाद करण उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 दी.प्रं.सं किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन उक्त वाद में वाद आदेश 7 नियम 11 दी.प्रं.सं के प्रावधानोके विपरीत नही है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद न. 6 कानूनी है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस उपरान्त हम इस निष्कर्स पर पहुँचे है कि वकील प्रार्थी के बहस एवं प्रस्तुत तथ्यों से सहमत है। प्रकरण मे पक्षकार मीणा जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा (2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यो पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नही होता है। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दी.प्रं.सं. स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.1.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
एसीईएम (फास्ट–ट्रेक) इटावा

Scanned with CamScanner